which he, now claims for himself. Therefore, in view of that, I would like to know whether they would formulate a new comprehensive Sports Policy, and in this regard, look at his files and pick up the Draft Comprehensive Sports Policy that had been prepared as long ago as 2008.

SHRI SARBANADA SONOWAL: Sir, the hon. Member has raised a supplementary regarding National Sports Federations. ...(*Interruptions*)...

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, my supplementary is regarding a comprehensive Sports Policy and not about Sports Federations.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Sir, I would like to tell the hon. Member, being a learned politician of the country, that I would solicit his suggestions and co-operation in the near future in this regard.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, there are so many talented youth in our country, in the slum and coastal areas, who are not being identified. Sir, they are so well trained, and if they are trained, they could be patronaged on a par with those who are in the international fora. Sir, they are not identified and patronaged. Will the Government focus their attention on that side and identify and patronage those young, poor, talented youth to bring them up in sports?

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Chairman, Sir, as you know, our Government is making new schemes to search the talent which is existing in the remotest parts of the country in the name of National Sports Talent Search Scheme. We are going to implement this Scheme throughout the country to find out the talented youth living in different parts of our countryside.

राजस्थान में पुरातत्व की दृष्टि से संरक्षित स्थान

*124. **श्री अश्क अली टाक** : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2013-14 में राजस्थान राज्य में 'पुरातत्व की दृष्टि से संरक्षित स्थान' के रूप में घोषित स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे नवीन संरक्षित स्थानों/स्मारकों के विकास हेतु स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपद यसो नायक) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्थान राज्य में किसी भी स्मारक/स्थल को केंद्रीय संरक्षित घोषित नहीं किया गया है।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्मारकों/स्थलों का संरक्षण, परिरक्षण और अनुरक्षण कार्य, स्मारक/स्थल के राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित होने पर ही किया जाता है। चूँकि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्थान राज्य में किसी भी स्मारक को संरक्षित घोषित नहीं किया गया है, अतः उनके संरक्षण/परिरक्षण के लिए राशि संस्वीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता ।

Archaeologically protected sites in Rajasthan

†*124. SHRI ASHK ALI TAK : Will the Minister of CULTURE be pleased to state:

(a) the details of archaeologically protected sites declared in the State of Rajasthan in 2013-14; and

(b) the details of funds sanctioned for the development of such new protected sites/monuments ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK) : (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No monument/site has been declared centrally protected by the Archaeological Survey of India in the State of Rajasthan during the year 2013-14.

(b) Conservation, preservation and maintenance of monuments/sites are taken up by the Archaeological Survey of India on declaration of monument/site as of national importance. Since no monument has been declared protected by Archaeological Survey of India in the State of Rajasthan during 2013-14, as such the question of sanctioning of amount for their conservation/preservation does not arise.

श्री सभापति : क्या आपको प्रश्न पूछना है?

श्री अश्क अली टाक : नहीं ।

श्री सभापति : क्या आपको कोई सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना है?

श्री अश्क अली टाक : नहीं ।

MR. CHAIRMAN: We will now take up the next supplementary question.

SHRI K. T. S. TULSI: Hon. Chairman, Sir, I want to bring to your kind attention that the question is about archaeologically protected sites. The question posed was

†Original notice of the question was received in Hindi.

archaeologically protected sites in the State of Rajasthan and Mr. Chairman, Sir, you will see that the answer is not direct. The answer is completely evasive. The answer is "No monument/site has been declared centrally protected..." The question is about nationally protected archaeologically protected sites. There is no answer to the question posed and according to the information this answer is misleading because according to the website of the Ministry, in 1985 when Jaipur circle was created by the Archaeological Survey of India, there were 152 sites which were declared as nationally protected monuments. And the answer says that there is no nationally protected monument in Rajasthan. After the new circle was created in 1985, nine more sites were added and in all there are 161 nationally protected monuments in Rajasthan. And the hon. Minister says that there is no protected monument in Rajasthan. As against this, I also want to bring to your kind attention and also ask the Minister that there are three ticketed monuments in Rajasthan, they are ticketed by the Archaeological Survey of India. These are Ranthambore Fort, Kumbhalgarh Fort and Deeg Palace. And the hon. Minister says that there is no protected site in Rajasthan.

श्री श्रीपद यसो नायक : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, जो प्रश्न खड़ा किया है, वह यह है कि 2013-14 में कितने आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्टिड एरियाज़ डिक्लेयर किए हैं, It is only for one year *i.e.* 2013-14. इस संदर्भ में मेरा यह उत्तर है कि 2013-14 में एक भी नहीं है । माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह ठीक है, अतः मैं बताना चाहता हूं कि altogether राजस्थान में, 162 टोटल मॉन्यूमेन्ट्स डिक्लेयर किए हैं ।

DR. KARAN SINGH: Sir, Rajasthan has some of the most attractive and wonderful monuments. Is the Minister aware that UNESCO is looking at the hill forts of Rajasthan to be added to the World Heritage Committee? Is the Minister aware of that? Are we fully cooperating because this can only be done when the State Government, the Government of India and UNESCO agree on it? So I am pressing it as an Indian Member in UNESCO. I would just like the hon. Minister to know about this and to also inform us whether he is aware of this development.

श्री श्रीपद यसो नायक : माननीय सभापति जी, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, कई ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनमें चार मॉन्यूमेंट्स राजस्थान में डिक्लेयर हुए हैं । स्टेट प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज तीन हैं। इस तरह से कुल मिला कर सात मॉन्यूमेंट्स हैं । माननीय सदस्य ने जो पूछा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर मैं उन्हें भेज दूँगा ।

डा. संजय सिंह : माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान में बहुत दिनों से पुरातत्व विभाग, प्रदेश सरकार और व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों ने वहां पर बहुत पुराने महलों, तमाम किलों और महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स को बचाने और संरक्षित करने का बड़ा प्रयास किया है । इसी वजह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक केंद्र बना है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा और आश्वासन चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में भी हजारों साल, सैकड़ों साल के ऐसे बहुत से मॉन्यूमेंट्स,

किले, हवेलियाँ और आर्किटेक्चर्स हैं, जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है । मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से भारत सरकार से यह पूछना चाहूँगा कि क्या वह इसके बारे में कोई योजना बनाएगी और इस सदन को आश्वस्त करेगी कि भविष्य में उत्तर प्रदेश में भी सैकड़ों, हजारों साल के ऐसे किले, पैलेसेज एवं मॉन्यूमेंट्स संरक्षित होंगे और उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा?

MR. CHAIRMAN: The question is on Rajasthan.

श्री श्रीपद यसो नायक : माननीय सभापति जी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, जब तक उनके बारे में नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा और उन्हें सरकार या आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास नहीं भेजा जाएगा, तब तक हम उन्हें नोटिफाई नहीं कर पाएँगे । मैं माननीय सदस्य से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ जो ऐसे साइट्स हैं, उनकी सूची कृपया हमारे पास भेज दें । हम उन्हें एग्ज़ामिन करके आगे की कार्रवाई करेंगे ।

तटीय सुरक्षा को बढ़ाये जाने हेतु उठाए गए कदम

*125. **श्री नरेश अग्रवाल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई में हुए हमले के बाद तटीय सुरक्षा बढ़ाने को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या पूर्वी और पश्चिमी तट पर 24 घंटे निगरानी और गश्त के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के पास उपलब्ध ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, हां । 26 नवम्बर, 2008 की मुम्बई की घटना के पश्चात देश के समुचे तटीय सुरक्षा परिदृश्य की भारत सरकार द्वारा बहुस्तरीय एवं अंतरमंत्रालयी समीक्षा की गई है और इस संबंध में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनेक महत्वपूर्ण निर्णय/पहलें की गई हैं:

- तटीय सुरक्षा योजना का उस समय चल रहे चरण-I का कार्यान्वयन 31.03.2011 को पूरा हो गया है ।
- तटीय सुरक्षा योजना के सुभेद्यता/कमी का विश्लेषण किया गया है और 1580 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ तटीय सुरक्षा योजना के चरण-II का कार्यान्वयन सरकार द्वारा 01.04.2011 से अनुमोदित किया गया है ।
- भारतीय नौसेना को समग्र समुद्रीय सुरक्षा के संबंध में उत्तरदायी प्राधिकरण के रूप में अभिहित किया गया है ।
- भारतीय तटरक्षक को देश की तट रेखा पर 0 से 200 नॉटिकल मील की समग्र सुरक्षा हेतु उत्तरदायी नोडल प्राधिकरण बनाया गया है।